हुक्म की तामील जारी हुए।

प्रकरण सं0 61/2021 तारीख दायर :-28.09.2021 दिनांक निर्णय :-06.10.2021

निर्णय

1.पटवारी हल्का ढिगावडा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.श्रीया पुत्र मुल्या जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2.रामफुल पुत्र फेलीराम जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि माफीमन्दिर देवमूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान वाके ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी भूमि वाके ग्राम ढिगावड़ा के खसरा नम्बर 577 रकबा 0.80 हे0 पर श्रीया पुत्र मुल्या हि0 1/2, रामफुल पुत्र फैलीराम हि0 1/2 जाति मीना सा0 देह के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।

प्रकरण के सम्बंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राजा-6/2007/पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का ढिगावड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत् तामील होकर प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। गैरसायल रामफुल उपस्थित आया। गैरसायल श्रीया बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा है। श्रीया के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगणो द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरसायलान के पास उक्त आराजी के सम्बंध में हक व अधिकार सम्बंधी कोई दस्तावेज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन किया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 05 में राज्य सरकार द्वारा मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी हल्का द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे। जिला कलक्टर मूर्ति मन्दिर की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की

तक राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनि... के अन्तर्गत उनका प्रकरण दर्ज कर तदानुसार प्रभावी निस्तारण करेगे।" के नि... जारी किये गये है।

पटवारी हल्का ढिगावड़ा की रिपोट के अनुसार मंदिर माफी देवमूर्ति श्री चतुर्भुज ... महाराज विराजमान वाके ग्राम ढिगावड़ा की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0... है। मंदिर माफी देवमूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड ... जिस पर श्रीया पुत्र मुल्या व रामफुल पुत्र फेलीराम जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहस... राजगढ़ जिला अलवर द्वारा खसरा नम्बर 577 रकबा 0.80 वाके ग्राम ढिगावड़ा पर ज... लगाकर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है।

अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–75 के अनुसार मं... माफी देवमूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान है, जिस पर अप्रार्थीगण श्रीया पुत्र मु... हि0 1/2 व रामफुल पुत्र फेलीराम हि0 1/2 जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहस... राजगढ़ जिला अलवर द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है जिससे मदिर म... देवमूर्ति की भूमि होने से अप्रार्थीगण श्रीया पुत्र मुल्या हि0 1/2 व रामफुल पुत्र फेलीराम ... 1/2 जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर की हैसियत ... अतिक्रमी की है। और मंदिर माफी देवमूर्ति की भूमियों से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनि... 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमी श्रीया पुत्र मुल्या ... 1/2 व रामफुल पुत्र फेलीराम हि0 1/2 जाति मीना निवासी ग्राम ढिगावड़ा तहसील राज... जिला अलवर को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मंदिर माफी देवमूर्ति श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान वाके ग्राम ढिगा... तहसील राजगढ़ जिला अलवर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.80 ... बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही शरह लगान 17 रूपये 36 पैसे ... 50 गुणा राशि 868 /– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार ... राजस्व लेखों में मांग कायमी, सम्बंधित हल्का पटवारी व भू0अ0 निरीक्षक ढिगावड़ा ... बेदखली व पेनल्टी की वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से ... हो। बादपूर्ति लेख भण्ड़ार हों।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायाल... सुनवाया गया।

6.10.21

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 18 पर सिन्चै 868
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार